न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 613/दो/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 03–01–2013 –पारित–व्दारा– कलेक्टर, जिला टीकमगढ़–प्र.क. 6/2012–13 पुनरावलोकन

1– बदली पुत्र जेतराम सौर
2– बजुआ पुत्र कमल अहिरवार
3– भुमानीदास पुत्र कमल अहिरवार
4– बलराम पुत्र कमल अहिरवार
चारों निवासी ग्राम मोरपारिया तहसील
पलेरा , जिला टीकमगढ़ ----आवेदकगण

विरूध्द

1–म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर ----अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर.एस.ठाकुर

म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक 14-7 – 2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 6/2012–13 पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 03–01–2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक कमांक एक ने कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम मोरपारिया स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 455, 456, 458, 460, 462, 453, 454 है जिसमें से भूमि खसरा कमांक 456 एंव 460 का रकबा कमशः 0.255 एंव 0.287 हैक्टर एंव खसरा नंबर 453 रकबा 0.158 हैक्टर में से हिस्सा 1/2

(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) विकय करना चाहता है क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र को गंभीर बीमारी है एंव काफी रूपया खर्च होने की संभावना है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह पुत्र का समुचित इलाज करा सके। इसलिये एकमात्र पुत्र के इलाज हेतु भूमि विकय की अनुमति दी जावे। कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्र. क. 05/अ–21/ 10–11 पंजीबद्व किया एंव जांच उपरांत आदेश दि. 21.12.10 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि विकय करने की अनुमति प्रदान की। विकय अनुमति प्राप्त होने के वाद आवेदक कमांक 1 ने वादग्रस्त भूमि शेष आवेदकगण के हित में पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 7.2.2011 से विकय कर दी।

भूमि विकय होने के उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्र.क. 05/अ–21 2010–11 में अंतरिम आदेश दिनांक 16.8.11 से विकय अनुमति आदेश दिनांक 21.12.2010 को पुनरावलोकन में लेने हेतु अनुमति वावत् प्रकरण राजस्व मण्डल को भेजा। राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर से प्रकरण कमांक 1819/तीन–2011 में आदेश दिनांक 15–12–11 से अनुमति प्राप्त हुई तदुपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 2.5.12 से अनावेदक क–1 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 6/ पुर्नविलोकन/2012–13 में आदेश दिनांक 03.01.2013 पारित किया तथा पूर्वाधिकारी के प्र.क.5/अ–21/10–11 में पारित आदेश दि0 21.12.10 को निरस्त करते हुये विकय पत्र के संबंध में संभावना लगाते हुये विकय होने पर अथवा विकय कार्यवाही होने की दशा में शून्य घोषित किया एंव वादग्रस्त भूमि पूर्ववत आवेदक क–1 के नाम अंकित करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2010 के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि आवेदक कमांक 1 ने पंजीकृत विकय पत्र से अन्य आवेदकों को विकय कर दी है, जबकि कलेक्टर टीकमगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 16.8.11 से आदेश दिनांक 21.12.2010 को पुनरावलोकन में लिये जाने का निर्णय लिया है, तब क्या अंतरिम आदेश दिनांक 16.8.11 के कम में पारित आदेश दिनांक 3–1–2013 पूर्वादेश दिनांक 21.12.2010 पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 165 – ऐसा प्रावधान नहीं है कि विकय अनुमति प्रदान करने पर भूमि विकय – तत्पश्चात् आदेश पारित कर पूर्वानुमति निरस्त करते हुये विकय पत्र भूतलक्षी प्रभाव से शून्य घोषित किया जा सके।

किन्तु कलेक्टर टीकमगढ़ ने उक्तानुसार तथ्यों पर गौर न करने की त्रृटि की है।

6/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि सदभावनापूर्वक आवेदन देकर आवेदक कमांक 1 ने आदेश दिनांक 21.12.10 से वादग्रस्त भूमि के विकय की अनुमति प्राप्त की है तदुपरांत भूमि विकय हुई है एंव कय–विकय पत्र दिनांक 7.2011 सदभावना पर आधारित हैं। विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार ने केताओं का नामान्तरण कर दिया है। कलेक्टर व्दारा पुनरावलोकन के दौरा केतागण को रिकार्डेड भूमिस्वामी होते हुये सूचना भी नहीं दी है एंव उनके विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि नायव तहसीलदार पलेरा ने आवेदन के तथ्यों की जांच कर विकय अनुमति दिये जाने की अनुसॅशा की है एंव अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने भी विकय अनुमति दिये जाने की अनुसॅशा की है और कलेक्टर ने सभी तथ्यों पर विचार कर विकय

अनुमति प्रदान की है। विकय अनुमति के पश्चात् निष्पादित विकय पत्र के समय प्रतिफल की कमी आदि की कोई शिकायत विकेता ने उप पंजीयक के समक्ष नहीं की है एंव किसी पक्ष ने भी विकय मूल्य कम प्राप्त होने की शिकायत केता के नामान्तरण होने तक नहीं की है । अतः विकय अनुमति प्राप्त करते समय एंव भूमि विकय करते समय विकेता एंव केता के मन में बद्यान्ति न होने से कय – विकय सदभाविक है। विकय पत्र के आधार पर केता आवेदकों का नामान्तरण तहसील न्यायालय व्दारा किया जा चुका है, जिसके कारण विकय अनुमति आदेश दिनांक 21.12.2010 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इसी आशय का न्यायिक दृष्टांत राजस्व मण्डल व्दारा प्रकरण कमांक 557/।।/2013 में पारित आदेश दिनांक 21–5–12 में एंव अन्य प्रकरण कमांक 588/।।/2013 में पारित आदेश दिनांक 16–7–13 में है, जिसके कारण कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 6/पुर्नविलोकन/ 12–13 में पारित आदेश दि. 03–01–2013 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 06/पुर्नविलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03–01–2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। फलतः कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्र0क0 05/अ–21/2010–11 में पारित आदेश दि. 21.12.2010 स्थिर रहने से विकय पत्र के आधार पर केतागण का किया गया नामान्तरण एंव अभिलेख का अमल यथावत् रहेगा।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर